कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखे का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2007, वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में यथासंशोधित, बजट दस्तावेजों, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त अन्य वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2014 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति, प्रतिबद्ध व्यय की वास्तविकता के सापेक्ष बजट आकलन और ऋण प्रतिरूपों पर एक अंतर्दृष्टि के अलावा गैर-बजटीय माध्यमों से राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार (भा.स.) से सीधे अंतरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करती है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी प्रस्तुत करने एवं आवंटित संसाधनों के सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

अध्याय-3 झारखण्ड सरकार के विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है।

इस प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से संग्रहित अतिरिक्त आँकड़ों का परिशिष्ट भी समाहित है। अंत में '***परिशिष्ट 4.1***' प्रतिवेदन में प्रयुक्त किये गये राज्य वित्त से संबंधित शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों की शब्दावली को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2013-14 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में वृद्धि तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) मानदंड 14.5 *प्रतिशत* के विरूद्ध 13.9 *प्रतिशत* रहा।

- वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 2,665 करोड़ था। स.रा.घ.उ. से राजस्व अधिशेष की प्रतिशतता 'मध्यावधि राजकोषीय योजना' लक्ष्य के 1.8 के विरूद्ध 1.5 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2013-14 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 2,256 करोड़) स.रा.घ.उ. का 1.3 *प्रतिशत* था जो एफ.आर.बी.एम. एवं तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तीन *प्रतिशत* के अन्दर था।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का अंतरण

- भारत सरकार ने राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को वर्ष 2012-13 के ₹ 2,621.91 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,601.80 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से अंतरण किया। अत: वार्षिक वित्त लेखे राज्य के संसाधनों का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्रस्तुत नहीं करते हैं। राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा व हक.), झारखण्ड को ससमय व्यय प्रतिवेदित करने हेतु मापदण्ड के अभाव में इन अभिकरणों द्वारा समरूप लेखांकन पद्धति का अनुकरण नहीं किया जाता है।

संसाधन का संचरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 26,137 करोड़) में पिछले वर्ष से 5.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। तथापि, बजट आकलन की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7,462 करोड़ कम थी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 50 *प्रतिशत* केन्द्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ जबकि शेष राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुआ।

व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2013-14 के दौरान, पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 4,218 करोड़ के सापेक्ष बढ़कर ₹ 4,722 करोड़ हो गई। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 15 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के दौरान 17 *प्रतिशत* रही। वर्ष 2013-14 के दौरान, स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2.7 थी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य के कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय सामान्य कोटि के राज्यों के औसत से कम

था। सामान्य कोटि के राज्यों की तुलना में राज्य सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को कम प्राथमिकता दिया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय (₹ 28,416 करोड़) कुल व्यय का 83 *प्रतिशत* तथा स.रा.घ.उ. का 13.6 *प्रतिशत* था। कुल राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 के 33 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013-14 में 27 *प्रतिशत* हो गई। वर्ष 2013-14 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹ 17,184 करोड़) में पिछले वर्ष के सापेक्ष 10 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और यह राजस्व व्यय का 73 *प्रतिशत* रही।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा स्थायीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता वर्ष 2012-13 के ₹ 6,950.32 करोड़ से घटकर ₹ 6,421.85 करोड़ हो गयी।

विकास व्यय पर जोर

- वर्ष 2013-14 के दौरान, विकास व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष पाँच *प्रतिशत* की कमी हुई। वर्ष के दौरान, कुल व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 48 *प्रतिशत* थी और कुल व्यय में विकासात्मक पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी 17 *प्रतिशत* थी।

अर्पूण परियोजनाएँ

- मार्च 2014 तक निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं होने वाले 328 परियोजनायें थी जिसमें कुल ₹ 760.11 करोड़ अवरूद्ध थे।

सरकारी निवेशों की समीक्षा

- 31 मार्च 2014 को झारखण्ड सरकार ने सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों एवं समितियों इत्यादि में ₹ 231.97 करोड़ का निवेश किया। निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2012-13 के ₹ 15 करोड़ (7.99 *प्रतिशत*) के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में ₹ 18 करोड़ (7.76 *प्रतिशत*) था।

राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 37,594 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में 7.8 *प्रतिशत* बढ़ा। इस वर्ष के ते.वि.आ. की सिफारिश 27.3 *प्रतिशत* के सापेक्ष राजकोषीय

दायित्व, स.रा.घ.उ. का 21.8 *प्रतिशत* था। सरकार ने सभी ऋणों की विमुक्ति के लिए निक्षेप निधि स्थापित नहीं किया।

ऋण प्रबंधन

- गैर-ऋण प्राप्तियों की बढ़ोतरी (संसाधन अंतराल) की पर्याप्तता वर्ष 2012-13 के (-) ₹ 39 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1,275 करोड़ हो गई जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का सूचक था। ऋणगत राशि की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2012-13 के ₹ 1,814 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 110 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 के दौरान स्थिर (10 *प्रतिशत*) रहा।

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट आकलन के कारण विशाल बचत

- वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 13,130.13 करोड़ की विशाल बचत हुई जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के अंतर्गत विशाल बचत राज्य के विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में कार्यरत 15 विभागों में विगत पाँच वर्षों में सतत बचत भी देखी गई।

आकस्मिक निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013-14 के दौरान 45 अवसरों पर आकस्मिक निधि से ₹ 336.33 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में वैसे व्यय करने हेतु आहरित किये गये जो न तो अप्रत्याशित और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

- वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 694.05 करोड़ की राशि बजट प्रावधानों से अधिक व्यय किये गये जिसे भारत के संविधान की अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-13 के दौरान किये गये ₹ 9,803.97 करोड़ के अधिक व्यय को भी विनियमित किया जाना शेष था।

विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2013-14 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों ने विभागों के कुल व्यय (₹ 30,463.22 करोड़) के 58.91 *प्रतिशत* एवं कुल प्राप्तियों (₹ 30,863.02 करोड़) के 41.55 *प्रतिशत* का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के बही से नहीं किया।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव हुआ।

अध्याय 3 वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

- 31 मार्च 2014 को वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आहरित सहायक अनुदान विपत्रों के विरूद्ध ₹ 6,543.82 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे जो निर्धारित उद्देश्य हेतु अनुदानों के ससमय उपयोग को सुनिश्चित करने में नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की विफलता के सूचक थे।

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर निधि का आहरण

- विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2000-14 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्र पर आहरित ₹ 5,162 करोड़ की विशाल राशि जून 2014 तक बकाया रहा। योजना निधि, यद्यपि अविलम्ब भुगतान हेतु आवश्यक नही थी, बजट आवंटन की राशि को विपगत होने से बचाने के लिये वित्तीय वर्ष के अन्त में ए.सी. विपत्र पर आहरित किये गये।

स्वायत निकायों, प्राधिकरणों और अनुदानग्राही संस्थानों की लेखापरीक्षा एवं लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- सरकारी विभागों ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुदानग्राही निकायों के लेखे को ससमय प्रस्तुत नहीं किया।

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना

- मार्च 2014 के अंत तक व्यक्तिगत बही खाते में ₹ 2,597.50 करोड़ की एक विशाल राशि थी। विधान मंडल द्वारा पारित चालू वर्ष के बजट निधियों को अगामी वर्षों में व्यय करने के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण करना वित्तीय नियमों के विरूद्ध था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।